सिफारिशों का सार

❖ **निर्धारण और टीडीएस इकाइयों के बीच सूचना का साझाकरण**

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी टीडीएस इकाइयों और तत्संबंधी क्षेत्राधिकरण निर्धारण इकाइयों के बीच सूचना का साझाकरण सुनिश्चित करे ताकि राजस्व प्राप्ति प्रयासों में तालमेल हो सके।

❖ **टीडीएस विवरणियों के सत्यापन हेतु मानदंड**

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी सत्यापन हेतु टीडीएस विवरणियों के चयन हेतु प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित कर सकता है।

❖ **टीडीएस इकाइयों द्वारा आयोजित सर्वेक्षण**

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी अपने सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें तथा सभी टीडीएस इकाइयों में सर्वेक्षण किए जाएं और तत्पश्चात कर क्षेत्र में कवर न किए गए कटौतीकर्ताओं को शामिल करके कर आधार के विस्तारण हेतु समय पर अंतिम रूप दिया जाए।

❖ **अपने ग्राहक को जानिये**

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी 'केवाईसी' में अपर्याप्तताओं की जाँच कर सकता है तथा पर्याप्त 'केवाईसी' के बिना आयकर विभाग टैन जारी ना करे ताकि कर चूककर्ताओं का पता लगाया जा सके।

❖ **अप्रयुक्त चालान, निपटानयोग्य मांग और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट**

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि सभी एओज़ अप्रयुक्त चालान, निपटानयोग्य माँग की वसूली और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूकों के समाधान के मामलों को संबोधित करने के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी निपटानयोग्य माँग की जल्द वसूली के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है चूँकि यह किसी भी विवाद से मुक्त है।

- **राज्य सरकार एआईएन और राज्य महालेखाकारों द्वारा बताए गए टीडीएस का मिलान**

  - हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी राज्य महालेखाकार (एजी) द्वारा सूचित कर भुगतान और फार्म 24जी के माध्यम से एआईएन धारक द्वारा सूचित किये गये टीडीएस का पुनर्मिलान सुनिश्चित कर सकता है।

- **फार्म 24जी**

  - हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी एआईएन धारकों द्वारा फार्म 24जी को फाईल करने में बेहतर अनुपालन के लिए कदम उठा सकता है ताकि समय पर तिमाही विवरण फाईल करने में डीडीओ को सक्षम बनाया जा सके।

- **निष्क्रय एआईएन धारक**

  - हमने सिफारिश की कि आईटीडी निष्क्रय एआईएन धारकों के लिए कारणों की समीक्षा कर सकता है और फार्म 24जी के प्रस्तुतीकरण की बेहतर निगरानी के लिए उन्हें हटा सकता है जो अब लेखा अधिकारी का कार्य नहीं कर रहे हैं।